न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या : 08/2015

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 आनन्दीलाल पुत्र स्व0 श्री जयन्तिलाल उर्फ जयलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिसलपुर तहसील बाली		1 सरकार जरिये तहसीलदार बाली

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्रीकृष्णदास, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री खीमाराम, सरकार पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक 4/9/2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर राजस्व प्रकरण संख्या 194/80 में पारित निर्णय दिनांक 22.06.1983 को पुनर्विलोकित करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बिसलपुर के खसरा नम्बर 265 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा के वर्तमान खसरा नम्बर 649 रकबा 1.68 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि थी। गांव के कुछ व्यक्ति प्रार्थी की उक्त भूमि पर कब्जा कर काश्त करना चाहते थे, जो प्रार्थी ने उन्हे काश्त हेतु नही दी। इस कारण उन्होने स्थानीय सरपंच के साथ मिल कर प्रार्थी के विरूद्ध उक्त भूमि को छुडाने की साजिश से तहसीलदार बाली को भू आवंटन खारिज करने हेतु निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार बाली द्वारा जिला कलक्टर पाली के समक्ष नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा जो नोटिस प्रार्थी को भिजवाया गया, वह प्रार्थी से तामील ही नही हुआ। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई का किसी प्रकार से अवसर नही दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अतः इस कारण आदेश दिनांक 22.06.1983 को पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.1983 को पुनर्विलोकित किया जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र म्याद बाहर पेश किया है, जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात क अवलोकन किया। जैर पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 22.06.1983 को पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। आर0एल0डब्ल्यु 1951 पेज 303 नौरतनमल बनाम हरिसिंह में प्रतिपादित किया कि

अति० जिला कलेक्टर, पाली

"Limitation Act. S. 5-- Delay in filing appeal--Each day's delay after due date must be satisfactorily explained. It is the duty of an applicant, praying for indulgence under s 5 to explain each day's delay satisfactorily and if he fail to do so he cannot get the benefit of s. 5" इसी प्रकार आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds--Discretion to condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939 डी0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा –विलम्ब का उपशमन– अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब– उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नही कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नही दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नही है व अपास्त किया।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 18 सत्तार खान व अन्य बनाम ब्रजलाल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963 – विलम्ब का माफ करना – राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश करने में 23 वर्ष का अप्रत्याशित विलम्ब – रेस्पोडेन्ट 'बी' पंचायत का प्रधान था और आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य था – आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उसने आपत्ति नही उठायी – आवेदन में बताये कारण न्यायसंगत नही कहे जा सकते – निर्णीत परिसीमा के बिन्दु पर ही अपील खारिज होने योग्य थी।" इसी प्रकार के तथ्य आर0आर0डी0 1984 पेज 261 अमराराम बनाम बृजलाल में भी प्रतिपादित किये गये है। हस्तगत प्रकरण पर उपरोक्त न्याय सिद्धान्त पूर्ण रूप से चस्पा होते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत ऐसा कोई कारण दर्शित नही किया गया है, जिससे देरी को कण्डोन किया जा सके। इस कारण प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुनवाई से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। मूल रेकर्ड अभिलेखागार को लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 4/9/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली